



संख्या:- 146/2026/आई-1455293/001-543आ0-23-5002-002-38-2026
(कम्प्यूटर संख्या-2082211)

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०),
लो०नि०वि०, लखनऊ उ०प्र०।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-60-051-03-00-24 "अनावासीय भवनों का उन्नयन एवं सुदृढीकरण के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद बहराइच, बुलंदशहर, पीलीभीत, प्रयागराज, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, हाथरस, सहारनपुर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, इटावा, बस्ती, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, झाँसी, देवरिया, मऊ, जालौन, गाजीपुर, रायबरेली, मेरठ, उन्नाव, ललितपुर, चंदौली, बाराबंकी, मुरादाबाद, संभल एवं आगरा के 64 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-60-051-03-00-24 "अनावासीय भवनों का उन्नयन एवं सुदृढीकरण के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद बहराइच, बुलंदशहर, पीलीभीत, प्रयागराज, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, हाथरस, सहारनपुर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, इटावा, बस्ती, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, झाँसी, देवरिया, मऊ, जालौन, गाजीपुर, रायबरेली, मेरठ, उन्नाव, ललितपुर, चंदौली, बाराबंकी, मुरादाबाद, संभल एवं आगरा के 64 कार्यों हेतु आगणन लागत रू० 3501.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रू० 1210.00 लाख (रू० बारह करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि० का पत्रांक व दिनांक	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	514 जी/9(13) बी० पी० -विंग/ 2026 दि० 18.08.2026	बहराइच	जनपद बहराइच में एल०आर०पी० कॉलोनी की बाउन्ड्रीवाल, सीवरलाइन एवं नाला का निर्माण कार्य।	105.40	36.50
2	तदैव	बुलंदशहर	जनपद बुलन्दशहर में खण्डीय स्टोर धरपा की चाहर दीवारी एवं गेट निर्माण का कार्य।	58.75	20.50
3	तदैव	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत के विभिन्न स्थलों पर लोक निर्माण विभाग की	289.73	101.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			भूमि के चारों ओर बाउंड्रीवाल /पिलर/फेंसिंग का कार्य।		
4	तदैव	प्रयागराज	ओल्ड जी0टी0 मार्ग पर गंगा बैंक के किनारे मेला क्षेत्र में स्थित स्टोर की क्षतिग्रस्त/जर्जर बाउण्ड्री के स्थान पर नयी बाउण्ड्री का निर्माण एवं अन्य विविध का कार्य।	144.72	50.50
5	तदैव	तदैव	ओल्ड जी0टी0 मार्ग पर कटका स्टोर की भूमि पर आवश्यक स्टोर सामग्री भण्डारण हेतु शेड, बाउण्ड्री वाल का निर्माण एवं अन्य विविध कार्य।	87.78	30.50
6	तदैव	आजमगढ़	देवगांव रेस्ट हाउस के चारो तरफ बाउंड्रीवाल का नवनिर्माण कार्य।	54.21	18.50
7	तदैव	लखीमपुर खीरी	खमरिया स्टोर हेतु अवशेष बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	84.61	29.50
8	तदैव	फर्रुखाबाद	निरीक्षण भवन, राजेपुर के बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।	51.86	18.00
9	तदैव	तदैव	निरीक्षण भवन, कायमगंज के बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।	46.74	16.00
10	तदैव	कौशाम्बी	कौशाम्बी के ग्राम सभा पेर्ड में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल एवं केयर टेकर कक्ष का निर्माण कार्य।	53.17	18.50
11	तदैव	तदैव	ग्राम सभा तरनी में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल एवं केयर टेकर कक्ष का निर्माण कार्य।	43.94	15.00
12	तदैव	हाथरस	स्टोर की उपलब्ध भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	66.37	23.00
13	तदैव	सहारनपुर	निरीक्षण भवन, बादशाहीबाग में बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य।	116.45	40.50
14	तदैव	महाराजगंज	जनपद महाराजगंज में लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	63.40	22.00
15	तदैव	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ स्थित निरीक्षण भवन परिसर में स्थित लैब भवन का निर्माण कार्य।	48.78	17.00
16	516 जी/9 (कार्ययोजना) बी0	इटवा	जनपद इटावा में ग्राम कुशगवां बादशाहपुर एन0एच0-2 के किनारे गाटा संख्या-13 लोक निर्माण विभाग	32.85	11.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	पी0 -विंग/ 2026 दि0 15.08.2026		की भूमि पर गैंगहट एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य।		
17	तदैव	बहराइच	जनपद बहराइच में निरीक्षण भवन, सिविल लाइन की जर्जर बाउण्ड्रीवाल के स्थान पर नवीन बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	35.63	12.00
18	तदैव	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में लखावटी.सैदपुर मार्ग पर ग्राम सैगाजगतपुर में लो0नि0वि0 की भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण का कार्य।	18.03	06.00
19	तदैव	बस्ती	मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में लैंडस्केपिंग का कार्य।	36.76	12.50
20	तदैव	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में विधान सभा लालगंज के विकास खण्ड ठेकमा में निरीक्षण भवन के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	32.08	11.00
21	तदैव	प्रतापगढ़	निरीक्षण भवन पट्टी में बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार कार्य।	35.29	12.00
22	तदैव	महोबा	विकास खण्ड कबरई ग्राम खन्ना के डाक बंगला में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। (लम्बाई.350 मी0)	25.71	08.50
23	तदैव	तदैव	जनपद महोबा के चरखारी निरीक्षण भवन की बाउण्ड्रीवाल ऊँचीकरण एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	34.68	12.00
24	तदैव	पीलीभीत	प्रान्तीय खण्ड, कार्यालय परिसर (विभागीय प्रयोगशाला) पीलीभीत के उन्नयन/सुदृढीकरण का कार्य।	36.58	12.50
25	537 जी/9 (13) बौ0 पी0 -विंग/ 2026 दि0 17.08.2026	सिद्धार्थनगर	जनपद सिद्धार्थनगर के निरीक्षण भवन बढनी परिसर में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	46.27	16.00
26	तदैव	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में निरीक्षण भवन भूड पर बाउण्ड्रीवाल एवं चौकीदार कक्ष का निर्माण कार्य।	125.40	43.50
27	तदैव	लखीमपुर खीरी	भीरा में प्रस्तावित निरीक्षण भवन के बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	50.97	17.50
28	तदैव	सोनभद्र	सर्किट हाउस सोनभद्र में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	56.98	19.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

29	तदैव	लखीमपुरखीरी	जनपद लखीमपुरखीरी के थाना फरधान के सामने लोक निर्माण विभाग की खाली पड़ी भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	40.11	14.00
30	तदैव	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर के ब्लॉक बी0बी0नगर में हमिदपुर-सिकन्दाबाद-कुचेसर मार्ग के पास स्थित फायर स्टेशन के पास लो0नि0वि0 की भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल व चौकीदार कक्ष के निर्माण का कार्य।	81.54	28.50
31	तदैव	झाँसी	जनपद झाँसी के परसा डाक बंगला में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	46.80	16.00
32	तदैव	देवरिया	जनपद देवरिया के विधानसभा रामपुर कारखाना के ग्राम विशुनपुर कला में 3 स्थानों पर लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	52.00	18.00
33	तदैव	देवरिया	जनपद देवरिया में लाहोरी शेड में लोक निर्माण विभाग के भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	45.85	16.00
34	तदैव	झाँसी	जनपद झाँसी के विकास खण्ड चिरगांव में पारीछा घाट स्थित पाण्डून पुल पर गैंग हट एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	46.51	16.00
35	तदैव	मऊ	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मऊ में कार्यालय भवन की बाउण्ड्री का निर्माण कार्य।	55.82	19.50
36	535 जी/9 (कार्ययोजना) बी0 पी0 -विंग/ 2026 दि0 17.08.2026	जालौन	खण्डीय स्टोर सिविल में प्रयोगशाला एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	37.42	13.00
37	तदैव	लखीमपुर खीरी	जनपद लखीमपुरखीरी विधानसभा क्षेत्र पलिया के अन्तर्गत थारू बाहुल्य क्षेत्र चन्दनचौकी में स्थित अनावासीय भवन के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	18.40	06.00
38	तदैव	गाजीपुर	निरीक्षण भवन मुहम्मदाबाद में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	17.24	06.00
39	तदैव	लखीमपुर खीरी	जनपद लखीमपुरखीरी में सिसैया चौराहे पर स्थिति लो0नि0वि0, के	23.66	08.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			स्टोर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।		
40	तदैव	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में देवबन्द स्थित वी०वी०आई०पी० गैस्ट हाउस एवं निरीक्षण भवन की बाउण्ड्री वॉल के पुनः निर्माण एवं मरम्मत का कार्य।	30.86	10.50
41	तदैव	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में हामिदपुर-सिकन्द्राबाद-कुचेसर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-100) के कि०मी० 70 में स्थित लो०नि०वि० की भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल एवं गेट का निर्माण का कार्य।	20.84	07.00
42	तदैव	झाँसी	जनपद झाँसी के चिरगांव मे बंगरा बंगरी मार्ग पर विभागीय भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	10.68	03.50
43	तदैव	देवरिया	जनपद देवरिया में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लो०नि०वि०, देवरिया के परिसर के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	18.33	06.00
44	तदैव	तदैव	जनपद देवरिया में जिलाधिकारी आवास के पीछे स्थित लो०नि०वि० के भूमि का बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	14.60	05.00
45	तदैव	तदैव	जनपद देवरिया के विधानसभा सलेमपुर में लोक निर्माण विभाग के सब स्टोर सलेमपुर के परिसर का बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	26.75	09.00
46	तदैव	झाँसी	जनपद झाँसी एस०एच०-42 मे स्थित बघैरा मे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	31.61	11.00
47	तदैव	तदैव	जनपद झाँसी अम्बरगढ मे स्थित गैंग हट की मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	19.53	06.50
48	तदैव	रायबरेली	जनपद रायबरेली के कार्यालय परिसर की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल के स्थान पर नई बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	18.45	06.00
49	592 जी/9(13)बी०	आगरा	जनपद आगरा में विधानसभा क्षेत्र खेरागढ के ब्लाक सैयां में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के किनारे राजस्थान	61.51	21.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	पी0 -विंग/2026 दि0 21.08.2026		बॉर्डर के पास ग्राम जाऊ के निकट लोक निर्माण विभाग के भूमि के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य।		
50	593 जी/9 (कार्ययोजना) बी0 पी0 -विंग/2026 दि0 21.08.2026	संभल	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल की जनपदीय प्रयोगशाला का उन्नयन/सुदृढीकरण का कार्य।	28.19	09.50
51	तदैव	मुरादाबाद	मुरादाबाद की तहसील बिलारी स्थित निरीक्षण भवन की बाउण्ड्री बॉल, हॉटीकल्चर, जीर्णोद्धार का कार्य।	37.60	13.00
52	568 जी/9 (कार्ययोजना) बी0 पी0 -विंग/2026 दि0 19.08.2026	बाराबंकी	रामसनेहीघाट स्थित निरीक्षण भवन के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	29.03	10.00
53	तदैव	चंदौली	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 चन्दौली के परिसर की बाउण्ड्रीवाल एवं वाहन पार्किंग के पुनरोद्धार का कार्य।	37.99	13.00
54	तदैव	मेरठ	जनपद मेरठ में कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रांगण की चहारदीवारी का उन्नयन/सुदृढीकरण का कार्य।	38.43	13.00
55	तदैव	तदैव	जनपद मेरठ में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रांगण मेरठ की चहारदीवारी का उन्नयन/सुदृढीकरण का कार्य।	37.74	13.00
56	तदैव	तदैव	जनपद मेरठ में कार्यालय कार्यशाला प्रांगण की चहारदीवारी एवं भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण का कार्य।	38.86	13.50
57	तदैव	लखीमपुर खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी मोतीपुर-तिकोनिया-कोढियाला घाट-खैरटिया बंधा मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0-2 में स्थित लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बाउण्ड्री वॉल एवं गेट का निर्माण कार्य।	33.67	11.50
58	तदैव	बुलंदशहर	जनपद बुलंदशहर में डी0एम0 कॉलानी में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवॉल के पुनः निर्माण का कार्य।	30.13	10.50

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

59	567 जी/9 (13) बी0 पी0- विंग/2026 दि0 19.08.2026	प्रयागराज	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज के अन्तर्गत लैब विस्तार हेतु भवन के मरम्मत एवं नये भवन का कार्य	94.86	33.00
60	तदैव	झाँसी	जनपद झाँसी की विधान सभा गरौठा के मौजा बेहतर मे विभागीय भूमि मे बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	53.07	18.50
61	तदैव	ललितपुर	जनपद ललितपुर के निरीक्षण भवन नत्थीखेड़ा के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	47.98	16.50
62	तदैव	उन्नाव	जनपद उन्नाव में शुक्लागंज के विभागीय रिक्त भूमि को संरक्षित करने हेतु बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	133.00	46.50
63	तदैव	लखीमपुर खीरी	विधानसभा निघासन के ग्राम बिलराया में स्थित लोक निर्माण विभाग के स्टोर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	41.87	14.50
64	तदैव	मेरठ	जनपद मेरठ में सर्किट हाउस परिसर मेरठ की बाउण्ड्री वाल के जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य।	217.40	76.00
योग				3501.47	1210.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धः:-

- 1- प्रश्नगत कार्यो हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।
- 2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।
- 4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपोजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- 7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी०एस०टी० आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।
- 12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- 14- विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो०नि०वि० द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 15- विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू०पी०सी०एल० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।
- 16- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
- 17- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 18- लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा० विभाग द्वारा जमा की जायेगी।
- 20- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 21- लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- 22- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
- 23- लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 24- लोक निर्माण विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,10,00,000 (रु० बारह करोड़ दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026/2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059600510300 "अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण के नये कार्य", मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 146/2026/आई-1455293/001-543 आ०(1)/23-5-2026- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र० प्रयागराज।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट, लो०नि०वि०, 30प्र० शासन।
- 4- सम्बंधित जिलाधिकारी, 30प्र०।
- 5- निदेशक, कोषागार, 30प्र० लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, 30प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र०।
- 9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो०नि०अनु०-10/श्रम अनु०-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।